The Uttaranchal Contingency Fund Act, 2001

Act 2 of 2001

Keyword(s):
Governor, Unforseen Expenditure, Consolidated Fund of the State

Amendments appended: 5 of 2001, 22 of 2003

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम संख्या–008 (ख)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 20 जनवरी, 2001 ई0

पौष 30, 1922 शक सम्वत्

उत्तरांचल सरकार

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 12/वि0 एवं सं0 कार्य/2001

देहरादून, 20 जनवरी, 2001 ई0

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल आकस्मिकता निधि विधेयक, 2001 पर दिनांक 18 जनवरी, 2001 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 2 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 2 सन् 2001)

(जैसा उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तरांचल राज्य के लिये आकस्मिकता निधि की स्थापना की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

चूंकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 267 के खण्ड (2) द्वारा राज्यों के विधान मंडल को अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी शक्ति दी गई है कि वह अपने-अपने राज्य के लिये विधि द्वारा आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकें,

इसके लिये निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1–(1) इस अधिनियम का नाम उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 होगा।

(2) यह 8 दिसम्बर, 2000 ई0 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2–इस अधिनियम में–

(क) "निधि" का तात्पर्य धारा–3 के अधीन स्थापित उत्तरांचल आकस्मिकता निधि से है;

(ख) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;

(ग) "राज्य" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य से है;

(घ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है।

निधि की स्थापना

3–इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य में राज्य के लिये उत्तरांचल आकस्मिकता निधि के नाम से एक निधि स्थापित करे।

राज्य की संचित निधि से धनराशियों का निकाला जाना और उन्हें निधि में जमा करना

4–इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि राज्य की संचित निधि में से पन्द्रह करोड़ रुपये की धनराशि निकाल कर इस निधि में जमा कर दे।

प्रयोजन जिनके लिये निधि का उपभोग किया जा सकता है

5–यह निधि उत्तरांचल के राज्यपाल के अधिकार में दी जायेगी और वे उस समय तक जब तक कि राज्य के अतर्कित व्यय विधिकृत विनियोग द्वारा राज्य के विधान मंडल से प्राधिकृत न हो जाय, ऐसे व्ययों की पूर्ति के निमित्त समय-समय पर अग्रिम के रूप में रुपया देने के अतिरिक्त, इस निधि को और किसी काम में न लायेंगे और उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये राज्यपाल द्वारा अग्रिम के रूप में जितना धन दिया गया होगा उतना ही धन ऐसी विधि के प्रवर्तन में आने के तुरन्त बाद इस निधि में जमा कर दिया गया समझा जायेगा और इस निधि में इस प्रकार संक्रामित धनराशि सब प्रयोजनों के लिये इस निधि का अंग समझी जायेगी।

नियम बनाने की शक्ति

6–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

निरसन और अपवाद

7–(1) उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
इरशाद हुसैन,
सचिव।

No. 12 (i)/Vidhayee and Sansadiya Karya/2001
Dated Dehradun, January 20, 2001

IN pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Contingency Fund Act, 2001 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 2 of 2001).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on January 18, 2001.

THE UTTARANCHAL CONTINGENCY FUND ACT, 2001

(UTTARANCHAL ACT NO. 2 OF 2001)

[As passed by the Uttaranchal Legislature]

AN

ACT

to provide for the establishment of a Contingency Fund for the State of Uttaranchal

WHEREAS Clause (2) of Article 267 of the Constitution of India provides, *inter alia*, that the Legislature of a State may by law establish a Contingency Fund for the State;

IT IS HEREBY enacted as follows :

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal Contingency Fund Act, 2001. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on December, 08, 2000.

2. In this Act– Definitions

(a) "the Fund" means the Uttaranchal Contingency Fund established under section-3;

(b) "Governor" means the Governor of Uttaranchal;

(c) "the State" means the State of Uttaranchal;

(d) "State Government" means the State Government of Uttaranchal.

3. On the commencement of this Act, the State Government shall establish in and for the State a fund called the Uttaranchal Contingency Fund. Establishment of the Fund

4. The State Government shall, on the commencement of this Act, withdraw a sum of **Fifteen crores** of rupees out of the Consolidated Fund of the State and place it to the credit of this Fund. Withdrawal of sums out of the Consolidated Fund of the State and credit thereof to the Fund

5. The Fund shall be placed at the disposal of the Governor of Uttaranchal, who shall not expend it except for the purpose of making advances from time to time for meeting unforeseen expenditure of the State, pending authorization of such expenditure by the Legislature of the State under appropriations made by law and, immediately after the coming into operation of such law, an amount equal to the amount or amounts advanced by the Governor for the purposes aforesaid shall be deemed to have been placed to the credit of the Fund and the amount so transferred shall for all purposes be deemed to be a part of the Fund. Purpose for which the Fund may be utilized

6. The State Government may, by notification, make rules to carry out all or any of the purposes of the Act. Power to make rules.

7. (1) The Uttaranchal Contingency Fund Ordinance, 2000 is hereby repealed. Repeal and savings

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under corresponding provisions of this Act, as if the provision of this Act were in force at all material times.

By Order,

IRSHAD HUSSAIN,

Sachiv.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 7 सा० विधायी/651–2001–250 (कम्प्यूटर)।

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 05 मई, 2001 ई0

बैशाख 15, 1923 शक सम्वत

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 5/विधायी एवं संसदीय कार्य/2001

देहरादून, 05 मई, 2001

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 5 मई, 2001 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तरांचल अधिनियम संख्या : 5 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2001

उत्तरांचल राज्य के लिए आकस्मिकता निधि की जमा धनराशि में वृद्धि की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

चूंकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 267 के खण्ड (2) द्वारा राज्यों के विधान मण्डल को अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी शक्ति दी गई है कि वह अपने–अपने राज्य के लिए विधि द्वारा राज्य आकस्मिकता निधि की व्यवस्था कर सके:

भारत का गणतन्त्र के बावनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियमित करती है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. इस अधिनियम का नाम उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा।

2. उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 2 सन् 2001) की धारा 4 में शब्द "पन्द्रह" के स्थान पर शब्द "तीस" प्रतिस्थापित किया जाता है।

3. इसके उत्तरांचल आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश (संख्या 03 सन् 2001) निरसित किया जाता है।

आज्ञा से,

पी0 सी0 पन्त

सचिव।

No. 5/Vidhayee And Sansadiya Karya/2001
Dated Dehradun, May 05, 2001

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Contingency Fund Act (Amendment) Bill, 2001 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 5 of 2001).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on May 05, 2001.

THE UTTARANCHAL CONTINGENCY FUND ACT (AMENDMENT) ACT, 2001

to provide for the increase in the credit of the Contingency Fund for the State of Uttaranchal.

AN

ACT

WHEREAS clause (2) of Article 267 of the Constitution of India provides, inter alia, that the Legislature of a State may by law establish a Contingency Fund for the State.

In the fifty second year of Republic of India, Uttaranchal Vidhan Sabha hereby enacts as follows :–

Short title and commencement 1. The Act may be called the Uttaranchal Contingency Fund Act (Amendment) Act, 2001.

2. In section 4 of Uttaranchal Contingency Fund Act, 2001 (Act no. 2 of 2001), word "thirty" is substituted for the word "fifteen".

3. The Uttaranchal Contingency Fund (Amendment) Ordinance (No. 03 of 2001) is hereby repealed.

By Order,

P. C. Pant

Sachiv.

P.S.U. (Re.) 3 Vidhayee And Sansadiya Karya/148–2001–500 (Computer).

क्रम संख्या–05

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 08 जनवरी, 2004 ई०
पौष 18, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 490/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देहरादून, 08 जनवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 06–01–04 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 22, सन् 2003 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2003
(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 22, सन् 2003)

[भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तरांचल राज्य की आकस्मिकता निधि की जमा धनराशि में वृद्धि की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

चूंकि "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 267 के खण्ड (2) द्वारा राज्यों के विधान मण्डल को अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी शक्ति दी गई है कि वह अपने–अपने राज्य के लिए विधि द्वारा राज्य आकस्मिकता निधि की व्यवस्था कर सकें;

और चूंकि, उत्तरांचल राज्य की आकस्मिकता निधि में जमा धनराशि में वृद्धि की व्यवस्था करना समीचीन हो गया है;

अतः भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

(2) यह अध्यादेश प्रख्यापित होने की तिथि से प्रभावी समझा जायेगा।

मूल अधिनियम की धारा 4 में संशोधन

2. उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 02, सन् 2001) की धारा 4 में शब्द "तीस" के स्थान पर शब्द "पचासी" प्रतिस्थापित किया जाता है।

निरसन और अपवाद

3. (1) उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (अध्यादेश संख्या 9, सन् 2003) निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
बी0 लाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttaranchal Contingency Fund Act (Amendment) Bill, 2003, Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 22 of 2003.

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 06 January, 2004.

No. 490/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003
Dated Dehradun, January 08, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARANCHAL CONTINGENCY FUND ACT (AMENDMENT) ACT, 2003
(UTTARANCHAL ACT NO. 18 OF 2003)

to provide for the increase in the credit of the Contingency Fund for the State of the Uttaranchal

AN
ACT

WHEREAS, clause (2) of Article 267 of the Constitution of India provides, inter allia, that the Legislature of a State may, by law, establish a Contingency Fund for the State;

AND WHEREAS, it has become expedient to provide for the increase in the credit of the Contingency Fund of the State of Uttaranchal;

THEREFORE it is hereby enacted by the Uttaranchal Assembly in the Fifty-fourth Year of Republic of India as follows :–

Short title and Commencement

1. (1) This Act may be called The Uttaranchal Contingency Fund (Amendment) Act, 2003.

(2) It shall be deemed to have come into force from the date of promulgation of the ordinance.

2. In section 4 of The Uttaranchal Contingency Fund Act, 2001 (Act no. 02 of 2001), the word "Thirty" is substituted by the word "Eighty five". Amendment in section 4 of the principal Act

3. (1) The Uttaranchal Contingency Fund Act (Amendment) Ordinance, 2003 (Ordinance no. 9 of 2003) is hereby repealed; Repeal and Savings

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act were in force at all material times.

By Order,

BHAROSI LAL,

Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 05 विधायी / 10–2004–500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।